कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पंडित माधवराव सप्रे महाविद्यालय
पेण्ड्रारोड, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)

AISHE-C-22377 College Code - 2806 Phone No.-07751220108 Email-pmrscollege2019@gmail.com

क./ 201 /स्था./2024 पेण्ड्रारोड,दिनांक 21/08/2024

अतिथि व्याख्याता (हिन्दी) हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के अनुसार शासकीय पं.माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.) निम्नलिखित विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 28.08.2024 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार किया जाएगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षको और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं उच्चतर शिक्षा में मानको के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2024 के प्रावधानो के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनूसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगज अभ्यर्थियों के लिए स्नाताकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु–सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. विषय/रिक्त पदो का विवरण

क्र.	विषय	प्राध्यापक
1	हिन्दी	01

टीप – संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते –

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, दसवीं, बारहवीं स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.एच.डी./अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
2. दिनांक 28.08.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनो को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जाएगा। ईमेल से भेजे गए आवेदन मान्य नही किया जाएगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति तिथि 01.09.2024 तक होगी।
5. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 02.09.2024 को किया जाएगा, जिसका अवलोकन महाविद्यालय की सूचना पटल / वेबसाईट पर किया जाएगा।
6. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित क विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नही की गई है।
7. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्यस्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।
8. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।
9. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा।

क्र.	**विवरण**	**अतिथि व्याख्याता**	**अतिथि शिक्षण सहायक**
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/–	300/–
2	चर कालखण्डो के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1,600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1,200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/–	350/–
2	चर कालखण्डो के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2,000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1,400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

10. आवेदक बंद लिफाफे मे उपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय पं.माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जाएगा और वे लोक सेवक की भी विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही कहलाएगे।

12. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जाएगी।

13. उन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्र संध चुनाव, योजनाओं, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियॉ, युवा उत्साव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगें।

15. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षाणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

21/08/24

प्राचार्य
शास.पंडित माधवराव सप्रे महाविद्यालय पेण्ड्रारोड
जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)